



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SH 168360

(प्रारूप-अ)

हम डा० अभय प्रकाश मिश्र (ट्रस्टी/अध्यक्ष), राजकुमारी राममूर्ति फाउण्डेशन,
पता ग्राम गोपालपुर, पोस्ट कुड़डा, जनपद जौनपुर (उ०प्र०) इमंघपूर्वक निम्नवत्
बयान करता हूँ कि:-

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा राममूर्ति इंस्टीट्यूट आफ कार्मसी, ग्राम गोपालपुर,
पोस्ट कुड़डा, तहसील सदर, जनपद जौनपुर (उ०प्र०) नामक डिप्लोमा स्तरीय
तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित
है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम ग्राम आलमपुर, पोस्ट बलबरगंज, तहसील मछलीशहर,
जनपद जौनपुर (उ०प्र०) में गाठा सं० 566 व 567 कुल 2 किला कुल रकबा 0.859
हेक्टेक्टर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में
नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा सं० 566 व 567
कुल 2 किला कुल रकबा 0.859 हेक्टेक्टर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय
तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक
दिनांक 14 नवम्बर 2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान
के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

Sworn and Verified
before me

SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public
117/175 Kartti, Major Devi Das Marg
Newali Chawki Lucknow



Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर द्रस्ट के नाम भूमि एंव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही सचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मेसी कार्डिनल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का सचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के सचालन हेतु आवश्यक वलास रूम, प्रयोगशालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कार्डिनल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के सचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विलक्षण परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं रवंय उत्तरदायी होऊंगा।

कृष्ण पाठी
डॉ द्रस्टी/अध्यक्ष

Sworn and Verified
before me

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
117/175 Kaliya, Near Major Devi Das Marg
Nizam Gard Chowk Lucknow